

डिक्री व मुकदमें ईव्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 34/2022

जोगेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री..... मिम जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मृतक कर्मजीत कौर पत्नी फौजासिह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा के नाम चक नं. 9 खेपसडी खाता सं. 39/24 जं.सं. 2070-2073 में दर्ज भूमि का वादी जोगेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक कर्मजीत कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.......... निल.......... खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.1.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया